



# नेपाल राजपत्र

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ६८) काठमाडौं, असोज २९ गते, २०७५ साल (संख्या ३४)

## भाग ३

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको

## सूचना १

नेपाल सरकारले वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची - २, ३, ६ र २० मा देहाय बमोजिम हेरफेर गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छः-

१. अनुसूची-२ को;

१. खण्ड (क) को गोलिया काठ शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. १,२ र १५ को सट्टा देहाय बमोजिम १,२ र १५ राखी क्र.सं. १६ धेत चन्दन झिकिएको छः-

| क्र.सं. | काठको प्रजाति  | स्तर (ग्रेड)  | प्रति क्यू.फिट मूल्य दर रु.   |
|---------|--|---------------|-------------------------------|
| १       | सतिसाल   | —             | १६००१-                        |
| २       | साल  | ए<br>बी<br>सी | १०००१-<br>७००१-<br>५००१-      |
| १५      | खयर (आयतन निकाल्दा लम्बाईलाई पनि अन्तिम इन्चसम्म नाप्ने) |               | १०००१-<br>३३१-प्रति किलोग्राम |

२. खण्ड (ख) को जरा र ठुटा शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. १ को सट्टा देहाय बमोजिमको क्र.सं. १ राखिएको छः-

| क्र.सं. | प्रजाति | मूल्य दर रु.         |
|---------|---------|----------------------|
| १       | खयर     | ४०१-प्रति किलो ग्राम |

२. अनुसूची-३ को;

१. खण्ड (क) को जरा तथा गानो जाति शीर्षक अन्तर्गत क्र. सं. ४८ पछि देहायका क्र.सं. ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० थपिएको छः-

| क्र. सं.                     | नेपाली नाम               | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम    | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>(क) जरा तथा गानो जाति</b> |                          |                                 |                           |
| ४९                           | गन्नाइनो                 | <i>Pleurospermum dentatum</i>   | ३।-                       |
| ५०                           | गन्धार्दनो               | <i>Angelica glauca</i>          | ५।-                       |
| ५१                           | जोरपाते बेली गानो        | <i>Psammosilene tunicoides</i>  | १५।-                      |
| ५२                           | पदमपुष्कर / निनाइजडि     | <i>Iris decora</i>              | ५।-                       |
| ५३                           | बाँको / सर्पको मकै       | <i>Arisaema spp.</i>            | २।-                       |
| ५४                           | सुनडाँठगानो              | <i>Gastrodia elata</i>          | १०।-                      |
| ५५                           | टूलो / बुढो ओखती         | <i>Astilbe spp.</i>             | ७।-                       |
| ५६                           | खिरौले (मेदा) / सेतकचिनी | <i>Polygonatum spp.</i>         | १५।-                      |
| ५७                           | ऐसेलु                    | <i>Rubus elepticus</i>          | १५।-                      |
| ५८                           | अश्वगन्धा                | <i>Withania somnifera</i>       | २०।-                      |
| ५९                           | वायजडि                   | <i>Tanacetum dolichophyllum</i> | ५।-                       |
| ६०                           | नारु                     | <i>Silene spp.</i>              | ५।-                       |

२. खण्ड (ग) को पात/ डाँठ शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. ३० पछि देहायका क्र.सं. ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ थपिएको छ :-

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।६।२९

| क्र. सं.            | नेपाली नाम          | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम   | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| (ग) पात / डाँठ जाति |                     |                                |                           |
| ३१                  | अखेनो,<br>घोडेमच्चो | <i>Thymus linearis</i>         | ३।-                       |
| ३२                  | बोहोरी              | सुयचमप्व मञ्जतकव               | ५।-                       |
| ३३                  | चुत्रो              | <i>Berberis spp.</i>           | ८।-                       |
| ३४                  | जोरपाते<br>बेलीगानो | <i>Psammosilene tunicoides</i> | १५।-                      |
| ३५                  | ऐसेलु               | <i>Rubus elepticus</i>         | १०-                       |
| ३६                  | भिडेत्ती            | <i>Elcholtzia fruticosa</i>    | ५।-                       |

३. खण्ड (घ) को फूल र भूवा जाति शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. १६ पछि देहायको क्र.सं. १७ थपिएको छः-

| क्र. सं.            | नेपाली नाम      | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| (घ) फूल र भूवा जाति |                 |                              |                           |
| १७                  | उत्तिसको<br>फूल | <i>Alnus nepalensis</i>      | ३।-                       |

४. खण्ड (ङ) को फल र बीज जाति शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. ६६ पछि देहायका क्र.सं. ६७, ६८, ६९ र ७० थपिएको छः-

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।६।२९

| क्र. सं.                 | नेपाली नाम        | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>(ड) फल र बीज जाति</b> |                   |                              |                           |
| ६७                       | ढटेलो             | <i>Prinsepia utilis</i>      | ५।-                       |
| ६८                       | जंगली आरु (चुली)  | <i>Prunus daviadiana</i>     | ५।-                       |
| ६९                       | काली काठको दाना   | <i>Myrsine semiserrata</i>   | ५।-                       |
| ७०                       | बीरेन्द्रफूलको फल | <i>Jacarandaspp.</i>         | ५।-                       |

५. खण्ड (च) को बिरुवा जाति शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. २१ पछि देहायका क्र.सं. २२, २३, २४, २५ र २६ थपिएको छः-

| क्र. सं.               | नेपाली नाम             | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम    | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>(च) बिरुवा जाति</b> |                        |                                 |                           |
| २२                     | रातोच्याउ              | <i>Ganoderma lucidum</i>        | ५०।-                      |
| २३                     | पात बुट्टेझार (सिमझार) | <i>Anoectochilus setaceus</i>   | १०।-                      |
| २४                     | वनआलु (मणिमालाजरा)     | <i>Rhizoma panacis majoris</i>  | १५।-                      |
| २५                     | गाईतिहारे              | <i>Inula cappa</i>              | ५।-                       |
| २६                     | भूईकस्तुरी             | <i>Chenopodium ambrosioides</i> | १५।-                      |

६. खण्ड (छ) को गम, रेजिन, लोहावन जाति शीर्षक अन्तर्गत क्र.सं. ८ पछि देहायको क्र.सं. ९ थपिएको छः-

| क्र. सं.                   | नेपाली नाम     | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| (छ) गम, रेजिन, लोहावन जाति |                |                              |                           |
| ९                          | अगरउड<br>(काठ) | <i>Aquilaria spp.</i>        | ३०।-                      |

३. अनुसूची-३ को देहायका प्रजातिहरूमा निम्न बमोजिम राजस्व दर कायम गरिएको छः-

| क्र. सं.              | नेपाली नाम            | वैज्ञानिक नाम, अङ्ग्रेजी नाम                                 | दस्तुर प्रति के.जी. (रु.) |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| (क) जरा तथा गानो जाति |                       |  |                           |
| ५                     | उन्चू                 | <i>Dryopteris filis-mas /D. cochleata / Huperzia serrata</i> | १०।-                      |
| ११                    | कुट्की                | <i>Neopicrorhiza scrophulariifolia</i>                       | ३०।-                      |
| १८                    | जटामसी                | <i>Nardostachys grandiflora</i>                              | ५०।-                      |
| २२                    | निरमसी /<br>निरबिपी   | <i>Delphinium denudatum</i>                                  | ६०।-                      |
| २४                    | पाखणवेद /<br>पाषाणभेद | <i>Bergenia ciliate</i>                                      | ७।-                       |
| २५                    | पाँचऔले               | <i>Dactylorhiza hatagirea</i>                                | ५००।-<br>प्रति गोटा       |
| २८                    | बनप्याज               | <i>Allium spp.</i>   | १५।-                      |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|                            |                              |  |              |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------|
| २९                         | वनमुला                       | <i>Dipsacus inermis</i>  | १५।-         |
| ३०                         | वनलसुन                       | <i>Allium wallichii</i>  | ३०।-         |
| ४३                         | सतुवा /<br>नकली सतुवा        | <i>Paris polyphylla / Trillidium<br/>govanianum</i>              | ४०।-         |
| ४७                         | सुगन्धवाल                    | <i>Valeriana jatamansii</i>                                      | २०।-         |
| ४८                         | कुकुरडाईनो                   | <i>Smilax spp</i>  | १०।-         |
| <b>(ख) बोक्रा जाति</b>     |                              |  |              |
| १८                         | पावन। काउलो                  | <i>Persea duthiei / P. odoratissima</i>                          | ३०।-         |
| <b>(ग) पात / डाँठ जाति</b> |                              |  |              |
| ४                          | उन्यू                        | <i>Dryopteris filis-mas /D.<br/>cochleata / Huperzia serrata</i> | ३।-          |
| २४                         | लौठसल्ला                     | <i>T. wallichiana / T.contorta/ T.<br/>mairei</i>                | ४०।-         |
| २७                         | सुनपाती                      | <i>Rhododendron anthopogon</i>                                   | ७।-          |
| <b>(ङ) फल, र बीज जाति</b>  |                              |  |              |
| ११                         | कालादाना                     | <i>Ipomoea spp.</i>  | ७।-          |
| २५                         | टिमु                         | <i>Zanthoxylum armatum</i>                                       | १०।-         |
| ३७                         | पानी अमला                    | <i>Nephrolepis cordifolia</i>                                    | ३।-          |
| ४१                         | वन करेला                     | <i>Herpetospermum pedunculatum</i>                               | ३।-          |
| ६५                         | सुगन्ध कौकिला<br>/ मलायागेडी | <i>Cinnamomum glaucescens/<br/>Cinnamomum tenuipile kosterm</i>  | १०।-         |
| <b>(च) बिरुवा जाति</b>     |                              |  |              |
| ३                          | गुच्छी च्याउ                 | <i>Morchella spp.</i>  | ५००।         |
| ८                          | इयाउ                         | <i>Lichen</i>  | २५।-         |
| १२                         | नागवेली                      | <i>Lycopodium clavatum</i>                                       | १५।-         |
| १७                         | यासागुम्बा<br>(यार्चागुम्बु) | <i>Cordyceps spp. /Ophiocordyceps<br/>sinensis</i>               | ३०,०००<br>।- |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।६।२९

|                                   |                                   |                       |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|
| १८                                | साधारण च्याउ                      | <i>Wild mushroom</i>  | १०।-  |
| <b>(छ) गम, रेजिन, लोहवान जाति</b> |                                   |                       |       |
| ६                                 | श्रीखण्ड /<br>श्वेतचन्दन<br>(काठ) | <i>Santalum album</i> | ८००।- |

४. अनुसूची-६ को खण्ड (क) को क्र.सं. २६ पछि देहायको क्र.सं. २७ थपिएको छः-

| क्र.सं. | नेपाली नाम                | वैज्ञानिक नाम,<br>अङ्ग्रेजी नाम | इकाई         | दस्तुर |
|---------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| २७      | सल्लाको पात /<br>सल्लेपिर | <i>Pinus spp.</i>               | प्रति के.जी. | २।-    |

५. अनुसूची-६ को खण्ड (क) को वनस्पतिजन्य वन पैदावार शीर्षक अन्तर्गतका देहायका वन पैदावारहरुको राजस्व दर देहाय वमोजिम कायम गरिएको छः-

| क्र.सं.                           | नेपाली नाम   | वैज्ञानिक नाम,<br>अङ्ग्रेजी नाम | इकाई            | दस्तुर<br>प्रति<br>के.जी.<br>(रु.) |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>(क) वनस्पतिजन्य वन पैदावार</b> |              |                                 |                 |                                    |
| २३                                | सल्लाको खोटो | <i>Pinus spp.</i>               | प्रति<br>के.जी. | १२।-                               |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०।२९

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
|   | ग) डोलोमाईट /<br>सिलौटेबुङ्गा<br>घ) सिलिका सेण्ड  |  |                              |
| ५ | गोल / पत्थर कोईला   | प्रति टन   | १७५।-                        |
| ६ | कोईला / मिट्टीकोईला<br>/ ओभरबर्डेन  | प्रति टन   | २०।-                         |
| ७ | सिसा (Lead)   | प्रति के.जी.   | ५।-                          |
| ८ | जेम्स (सुहाग पत्थर)<br>क) टरमलिन<br>ख) अन्य जेम्स   | प्रति १० ग्राम<br>प्रति १० ग्राम                                 | १५०।-<br>५०।-                |
| ९ | औद्योगिक क्लंकर<br>/विशेष माटो (उत्खनन<br>हुने डिपोजिट)<br>क) कमेरो<br>ख) गेरु / ओर्के<br>ग) मुलतानी<br>घ) अन्य ओभरबर्डेन | प्रति घन मिटर<br>प्रति घन मिटर<br>प्रति घन मिटर<br>प्रति घन मिटर | ३५।-<br>५०।-<br>६०।-<br>५०।- |

**द्रष्टव्यः**

- १) प्रचलित कानून बमोजिम अन्य सरकारी निकायमा एक पटक राजध्व तिरी सकेको भए सोको लागि दोहोरो राजध्व लिईने छैन।
- २) विदेश निकाशीको लागि माथि उल्लेखित दस्तुरको तेब्बर दस्तुर लाग्नेछ।
- ३) राष्ट्रिय बनबाट निकालिने अन्य खनिज पदार्थहरुको हकमा वातावरणीय सेवा शुल्क वापत खानी तथा भू-गर्भ विभागमा बुझाएको

राजध्व दस्तुरमा थप २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

- ४) अनुसूची -६ को खण्ड(ख) मा उल्लेखित गैरकर राजध्व अन्य निकाय (खानी विभाग लगायत) बाट तय भएका दररेट भन्दा घटी नहुने गरी राजध्व सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। यदि उल्लेख नभएको खनिज पदार्थहरुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

८. अनुसूची -२० को सट्टा देहायको अनुसूची -२० राखिएको छ।

"अनुसूची - २०

(नियम ४१ र ४९ सँग सम्बन्धित)

कबुलियती वनको वार्षिक दस्तुर

प्रति हेक्टर रु. मा (१ हेक्टर = १९.७ रोपनी = १.४५ विघा)

| उद्देश्य             | हिमाली क्षेत्र | पहाडी क्षेत्र | तराई क्षेत्र | काठमाडौं उपत्यका | कैफियत |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------|
| कच्चा पदार्थ उत्पादन | ५००            | ५००           | ५००          | ५००              |        |
| वृक्षारोपण/ कृषि वन  | १५०            | २००           | ५००          | ५००              |        |
| वन्यजन्तु फार्म      | १०००           | २५००          | ५०००         | ५०००             |        |
| पर्या-पर्यटन         | ३०००           | ५०००          | ८०००         | १५०००            |        |
| उद्योग               | २०००           | ३५००          | ५०००         | ५०००             |        |

- (क) सम्झौता भएको मितिबाट पाँच आर्थिक वर्षलाई सञ्चालनमा ल्याउने समयावधि मानी तत्पश्चात छैटौँ आर्थिक वर्षदेखि उक्त दस्तुरमा प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशतका दरले वार्षिक वृद्धि हुँदै जानेछ।
- (ख) गरिवीको रेखा मुनिका समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन।"

### सूचना २

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३७ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-१ र २ को सट्टा देहायका अनुसूची-१ र २ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची-१

(नियम ९ को उपनियम (१), नियम १०, ११, १२, १५, १६, २१ र २४ सँग सम्बन्धित)

### दस्तुर

| क्र. सं. | अनुज्ञापत्र / इजाजतपत्रको नाम | कायम गरिएको दस्तुर (रु.) |               |
|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|          |                               | नेपाली नागरिक            | विदेशी नागरिक |
| (१)      | जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्र      | ७,०००।-                  | -             |
| (२)      | सामान्य शिकार अनुज्ञापत्र     | १०,०००।-                 | ७५,०००।-      |
| (३)      | पंक्षी शिकार अनुज्ञापत्र      | ३,०००।                   | १५,०००।-      |
| (४)      | पूरक शिकार अनुज्ञापत्र        |                          |               |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०।२९

| वन्यजन्तुको नाम |   | प्रति वन्यजन्तु |                |
|-----------------|---|-----------------|----------------|
| (क)             | चितुवा  | १५,०००।-        | २,००,०००।-     |
| (ख)             | नाउर  | १५,०००।-        | १,५०,०००।<br>— |
| (ग)             | भालु  | १०,०००।-        | १,५०,०००।<br>— |
| (घ)             | जरायो   | २०,०००।—        | १,००,०००।<br>— |
| (ङ)             | घोरल  | १०,०००।—        | ७५,०००।—       |
| (च)             | धार   | ५,०००।—         | ७५,०००।—       |
| (छ)             | झारल  | १०,०००।—        | ७५,०००।—       |
| (ज)             | चित्तल  | ७,०००।—         | ४०,०००।—       |
| (झ)             | वंदेल   | ५,०००।—         | १०,०००।—       |
| (ञ)             | घोडगधा  | १०,०००।—        | ४०,०००।—       |
| (ट)             | सामान्य शिकार<br>अनुज्ञापत्रमा भएका<br>वन्यजन्तु थप प्रत्येकको                    | ५,०००।—         | ४०,०००।—       |
| (५)             | पेशेवार शिकारी अनुज्ञापत्र<br>(पाँच वर्षको लागि)                                  | १,५०,०००।—      | ७,००,०००।<br>— |
| (६)             | शिकार गाईड अनुज्ञापत्र  | ७,०००।—         | -              |
| (७)             | शिकार आरक्षमा क्षेत्र<br>(ब्लक) सुरक्षण इजाजतपत्र<br>(शिकारी क्षेत्र सुरक्षण गर्न | १५,०००।—        | ४०,०००।—       |

खण्ड ६(द) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०।२९

|      | प्रति शिकारी प्रति हप्ता)                 |         |          |
|------|---|---------|----------|
| (८)  | आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्वको प्रमाणपत्र | १,५००।— | १०,०००।— |
| (९)  | अनुज्ञापत्र नक्कल                         | १,५००।— | १०,०००।— |
| (१०) | विविध सिफारिसपत्र                         | ३,०००।— | १०,०००।— |

**द्रष्टव्यः**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको छ ।
- (ख) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत थप दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (ग) E-Bidding को माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोलकबोल गर्नेलाई पनि तोकिएको कोटाभित्रका माथि तोकिएका वन्यजन्तुको शिकार गराउन अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ ।
- (घ) शिकार टोलीको साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।"

"अनुसूची-२

(नियम २२ सँग सम्बन्धित)

वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि वन्यजन्तु वा पंक्षीहरु (संरक्षित इन्डेजर्स सूचीमा नपरेका मात्र) पक्रन र सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र वापतको

दस्तूर

| क्र.सं. | वन्यजन्तुको किसिम   | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |
|---------|---|--------------------------|
| (क)     | स्तनधारी वन्यजन्तु  |                          |
| (१)     | चितुवा  | ५०,०००।-                 |
| (२)     | भालु (स्लोथ र हिमाली)   | ५०,०००।-                 |
| (३)     | नाउर  | ५०,०००।-                 |
| (४)     | जरायो, घोडगधा   | ३०,०००।-                 |
| (५)     | झारल, थार, घोरल   | ४०,०००।-                 |
| (६)     | रातो बाँदर  | १५,०००।-                 |
| (७)     | जङ्गली कुकुर  | १०,०००।-                 |
| (८)     | सबै किसिमका वन विरालाहरु (संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा नपरेका मात्र) | ३,०००।-                  |
| (९)     | चित्तल  | १५,०००।-                 |
| (१०)    | लगुना, रातो मृग   | ७,०००।-                  |
| (११)    | ढेडु (लङ्गुर) बाँदर   | ५,०००।-                  |
| (१२)    | स्याल, फ्याउरो  | ३,०००।-                  |
| (१३)    | बाँदल   | २,०००।-                  |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|      |  |         |
|------|--|---------|
| (१४) | ओत, रतेल   | ३,०००।- |
| (१५) | मार्टिन (मलसाप्रो) मारमोट,<br>लिजेल, हेलजग, ब्याजर | २,०००।- |
| (१६) | चमेरा  | १,०००।- |
| (१७) | उड्ने लोखर्के र ठूलो लोखर्के                       | ३,०००।- |
| (१८) | अन्य लोखर्के                                       | १,०००।- |
| (१९) | खरायो, मुसे खरायो                                  | १,०००।- |
| (२०) | न्याउरी मुसो                                       | ५००।-   |
| (२१) | दुम्सी   | ५००।-   |
| (२२) | छुचुन्द्रो, भोल, भोल                               | २००।-   |
| (२३) | मुसा   | १००।-   |
| (ख)  | <b>पंक्षीहरु (फुलसमेत)</b>                         |         |
| (१)  | ठूलो बाज (शाही बाज)                                | ९,०००।- |
| (२)  | सारस, कन्याडकुरुड, गरुड                            | ३,०००।- |
| (३)  | चिल, गिद्ध, ठूलो शिकारी पंक्षी                     | २,५००।- |
| (४)  | ठूलो लाटोकोसेरो, माछा माने<br>लाटोकोसेरो           | ३,०००।- |
| (५)  | कालिज, कोकलास र ठूलो हाँस                          | १,०००।- |
| (६)  | घनेश   | १,०००।- |
| (७)  | सानो बाज, सानो शिकारी पंक्षी,<br>लुइचे, तिन्ना     | १,०००।- |
| (८)  | च्याखुरा, हाँस, चखेबा, मैना                        | १,०००।- |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|      |   |         |
|------|---|---------|
| (९)  | अन्य लाटोकोसेरो   | १,०००।- |
| (१०) | मलेवा, ढुकुर, जुरेली, तोरीचरा, बडाई                       | २००।-   |
| (११) | ग्रेकल्स, रानीचरा, कुथुके, बुंगे चरा, फलावर पर्कस, सनवर्ड | २००।-   |
| (१२) | लाहँचै, काठ फोडुवा, कोइली, कुक्कु                         | २००।-   |
| (१३) | सुगा  | २००।-   |
| (१४) | अन्य पंक्षीहरु  | २००।-   |
| (ग)  | घसिने जन्तु (रिप्टाइल्स), माछा तथा किराहरु                |         |
| (१)  | मगर गोही  | ९,०००।- |
| (२)  | मगर गोहीको फुल  | २,०००।- |
| (३)  | कछुवा   | ३,०००।- |
| (४)  | कछुवाको फुल   | १,०००।- |
| (५)  | सर्प जाति   | २००।-   |
| (६)  | छेपारो  | २००।-   |
| (७)  | माछा (५ इन्च र सो भन्दा लामो)                             | १००।-   |
| (८)  | माछा (५ इन्च भन्दा छोटो)                                  | ५०।-    |
| (९)  | भ्यागुतो  | ५०।-    |
| (१०) | पुतली   | १००।-   |
| (११) | अरु कीरा फट्याङ्गा (प्रति सय)                             | ५०।-    |

### सूचना ३

नेपाल सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३०को नियम २४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची १- को सहा देहायका अनुसूची-१ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची-१  
(नियम ४, १० र २० सँग सम्बन्धित)

#### दस्तूर

| क्र. सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |                      |                    |
|----------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
|          |  | नेपाली नागरिक            | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)      | राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश दस्तूर(प्रति व्यक्ति प्रति दिन)<br>(१० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन)                         | १५०।-                    | १,०००।-              | २,०००।<br>-        |
| (ख)      | माछा मार्ने दस्तूर<br>(बल्ल्छीले मात्र प्रति व्यक्ति प्रति दिनको लागि) (परम्परागत रूपमा माछा मारी जीविका चलाउने स्थानीय बोटे,दराई,कुमाल,थारु | ३००।-                    | २,०००।-              | ३,०००।<br>-        |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |       |         |             |
|-----|--|-------|---------|-------------|
|     | जातिका मानिसहरुलाई<br>वार्षिक शुल्क रु.<br>१००।- तिरी माछा<br>मार्न पाउनेछन् ।)  |       |         |             |
| (ग) | क्याम्पिङ (बास बस्ने)<br>दस्तूर (प्रति व्यक्ति<br>प्रत्येक रातको)                | ३००।- | १,०००।- | २,०००।<br>- |
| (घ) | निकुञ्जको नदी नालामा पर्यटक घुमाउन डुङ्गा वा न्याफटीङ<br>चलाए बापत लाग्ने दस्तूर |       |         |             |
|     | (१) डुङ्गा<br>(प्रतिव्यक्तिप्रतिट्रिप)   | ३००।- | ३,०००।- | ४,०००।<br>- |
|     | (२) न्याफटीङ<br>(प्रतिव्यक्तिप्रतिट्रिप)   | २००।- | १,६००।- | ४,०००।<br>- |
| (ङ) | खर खडाई, वनकस दस्तूर<br>(प्रति पूर्जा)   |       | ५०।-    |             |
| (च) | सवारी साधन दस्तूर (प्रति सवारी प्रति पटक)  |       |         |             |
|     | (१) सुविधाप्राप्त बाटोको लागि  |       |         |             |
|     | (क) कार, जीप, ट्रक, बस,<br>ट्रयाक्टर, लरी (५<br>टनसम्म) को लागि                  |       | १००।-   |             |
|     | (ख) मोटरसाइकल,<br>बयलगाडा र टाँगाको<br>लागि                                      |       | २०।-    |             |
|     | (२) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभ   |       |         |             |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०।२९

|     |  |                            |
|-----|--|----------------------------|
|     | कार  | ३,०००।-                    |
|     | जीप  | ५,०००।-                    |
|     | (३) सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लागि मोटर इन्जिन जडान भएको सवारी साधनको लागि   | १,०००।-                    |
|     | (४) हेलिकप्टर अवतरण / Hovering समेत (प्रत्येक पटकको लागि)  | ७,५००।-                    |
| (छ) | तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले निकुञ्जभित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए वापत प्रति गाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क वापत  | २,०००।-                    |
| (ज) | भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने ठोरी र निर्मलवस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरूको आगमनमा प्रयोग हुने सार्वजनिक, निजी र आकस्मिक सेवाका सवारी साधनमा अनुसूची-१ को खण्ड (च) को देहाय (१) मा उल्लिखित दस्तूर लाग्ने छैन । |                            |
| (झ) | सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन दस्तूर:   | कायम गरिएको दस्तूर (रु.)   |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १०,०००।-               |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु. ५०,०००।-               |
|     | अन्य राष्ट्रका   | यू.एस. डलर १,५००।- बराबरको |

| नागरिकलाई   | नेपाली रुपैयाँ  |
|---|---|
| द्रष्टव्य: ड्रोनको प्रयोग गरी सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । |   |
| छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |   |
| (ज)   | डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । |

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्रवाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) खरखडाई पूर्जाको म्याद तीन दिनको हुनेछ ।
- (ङ) गाइडशुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (च) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:-
  - (क) कार—४जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
  - (ख) जीप—१०जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।



- (छ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।"

### सूचना ४

नेपाल सरकारले वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४ को नियम २३क.ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-१ को सट्टा देहायका अनुसूची-१ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची-१  
(नियम ४, १० र १९क. सँग सम्बन्धित)  
दस्तूर

| क्र.सं. | विवरण   | कायम गरिएको दस्तूर (रु) |                      |                    |
|---------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
|         |   | नेपाली नागरिक           | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)     | आरक्षको प्रवेश दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।) | १००१-                   | ७५०१-                | १,५००१-            |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |         |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|
| (ख) | क्याम्पिङ (बास बस्ने) दस्तूर<br>(प्रति व्यक्ति प्रत्येक रातको)   | ३००१-   | ७५०१-   | १,५००१- |
| (ग) | माछा मार्ने दस्तूर (बल्छीले<br>मात्र प्रति व्यक्ति प्रति दिनको<br>लागि) (परम्परागत रूपमा<br>माछा मारी जीविका चलाउने<br>स्थानीय बोटे, दराई, कुमाल,<br>थारु जातिका मानिसहरूलाई<br>वार्षिक शुल्क रु. १००१-<br>तिरी माछा मार्न पाउनेछन् ।) | ३००१-   | १,५००१- | ३,०००१- |
| (घ) | सवारी साधन दस्तूर (प्रति सवारी प्रति पटक)  |         |         |         |
|     | (१) सुविधा प्राप्त बाटोको लागि   |         |         |         |
|     | (क) कार, जीप, ट्रक, बस,<br>ट्र्याक्टर, लरी (५ टनसम्म)<br>को लागि   | ३००१-   |         |         |
|     | (ख) मोटरसाइकल,<br>बयलगाडा र टाँगाको लागि   | २५१-    |         |         |
|     | (२) सुविधा प्राप्त बाटो<br>बाहेक अन्य बाटोको लागि<br>मोटर इन्जिन जडान भएको<br>सवारी साधनको लागि  | ३००१-   |         |         |
|     | (३) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभ   |         |         |         |
|     | कार  | १,५००१- |         |         |
|     | जीप  | ३,०००१- |         |         |
|     | भ्यान  | ४,०००१- |         |         |
|     | (४) हेलिकप्टर अवतरण /<br>Hoveringसमेत (प्रत्येक<br>पटकको लागि)   | ७,५००१- |         |         |
| (ङ) | डुहा वा न्याफ्टीड चलाए बापत लाग्ने दस्तूर  |         |         |         |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |   |         |         |
|-----|--|---|---------|---------|
|     | (१) डुङ्गा (प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप)   | ३००१-                                     | ३,०००१- | ४,०००१- |
|     | (२) न्याफ्टीङ्ग (प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप)  | २००१-                                     | १,६००१- | ४,०००१- |
| (च) | तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले आरक्षभित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रति गाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क बापत  |   | १,५००१- |         |
| (छ) | खर खडाई, वनकस दस्तुर (प्रति पूजी)  |   | ५०१-    |         |
| (ज) | सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन दस्तुर:   | कायम गरिएको दस्तुर (रु.)                  |         |         |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १०,०००१-                              |         |         |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु. ५०,०००१-                              |         |         |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई   | यू.एस. डलर १,५००१- बराबरको नेपाली रुपैयाँ |         |         |
|     | <b>दृष्टव्य:</b> ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।<br>छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ । |   |         |         |
| (झ) | डकुमेन्ट्रीबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ ।                             |   |         |         |

**दृष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तुरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।  
 (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र आरक्षभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।

- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई आरक्षको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) खर खडाई पूर्जाको म्याद तीन दिनको हुनेछ ।
- (ङ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई आरक्ष प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (च) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:-
- (क) कार — ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (ख) जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (ग) भ्यान — १५ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (छ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई आरक्षभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।"

### सूचना ५

नेपाल सरकारले हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६को नियम ३३ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-२ को सङ्ख्या देहायको अनुसूची-२ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची—२  
(नियम ४ र ११ सँग सम्बन्धित)

दस्तूर

| क्र.सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |                      |                    |
|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
|         |  | नेपाली नागरिक            | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)     | १. राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति प्रवेश) (१० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।) | १००।-                    | १,५००।-              | ३,०००।-            |
|         | २. पर्यटकीय भरियालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर   |                          | २५।-                 |                    |
| (ख)     | १.माछा मानै दस्तूर (बल्छीले मात्र प्रति व्यक्ति प्रति दिनको लागि)  | ३,००।-                   | १,५००।-              | २,५००।-            |
| (ग)     | क्याम्पिङ (प्रति व्यक्ति प्रति प्रवेश)   | १००।-                    | १०००।-               | १,५००।-            |
| (घ)     | तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले आरक्षभित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रति गाइडप्रति वर्ष गाइड                              |                          | १,५००।-              |                    |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | शुल्क वापत  |   |
| (ड) | हेलिकप्टर अवतरण / Hovering समेत (प्रत्येक पटकको लागि)   | ३,०००।-   |
| (च) | चरीचरन दस्तूर (प्रति गोटा)  | (१) भेडा, बाख्रा र अन्य यस्तै जीवजन्तु रु.१०१- ,<br>(२) गधा, खच्चर, घोडा रु.१००१- ,<br>(३) चौरीगाई, गोरु रु. २५१- ,<br>(४) भैंसी, राङ्गा रु. ५०१- |
| (छ) | सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन दस्तूर:  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.)  |
|     | नेपाली नागरिकलाई  | रु. १०,०००।-  |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई  | रु. ५०,०००।-  |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई  | यू.एस. डलर १,५००।- बराबरको नेपाली रुपैयाँ   |
|     | <u>द्रष्टव्य:</u> ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५(पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । |   |
|     | छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |   |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| (ज) | डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा(डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । |             |
| (झ) | निकुञ्जको नदी नाला वा ताल पोखरीमा डुङ्गा चलाए बापत लाग्ने दस्तुर:  |             |
|     | <b>१.३० मिनेट सम्मको लागि (प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप)</b>  |             |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १००।—   |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु. ४००।—   |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई   | रु. १,०००।— |
|     | <b>२. १ घण्टा सम्मको लागि (प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप)</b>  |             |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १५०।—   |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु. ७००।—   |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई   | रु. १,५००।— |
|     | ३.यस भन्दा माथिको लागि दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।   |             |

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तुरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तुर लाग्ने छैन ।

- (घ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (ङ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (च) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।
- (छ) चरीचरन वा गोठ राख्नको लागि दिइएको अनुमति पत्र तीन महिनासम्मको लागि मात्र मान्य हुनेछ ।"

### सूचना ६

नेपाल सरकारले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४को नियम ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची- २ को सट्टा देहायको अनुसूची -२ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची—२

(नियम ४, १२, २८ र ३१ सँग सम्बन्धित)

#### दस्तूर

| (क) | राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश दस्तूर (प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रवेश): | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |
|-----|---|--------------------------|
|     | नेपाली नागरिकलाई  | रु. १००।—                |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई                                  | रु. ५००।—                |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
|     | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु.१,५००।-   |
|     | (दश वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दस्तूर लाग्ने छैन) ।                   |              |
| (ख) | <b>माछा मार्ने दस्तूर:</b>   |              |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु.१००।-     |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु.५००।-     |
|     | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु.१,०००।-   |
| (ग) | <b>क्याम्पिङ (बास बस्ने) दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति प्रवेशको लागि):</b> |              |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु.१००।-     |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु.५००।-     |
|     | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु.१,०००।-   |
| (घ) | <b>खर, घाँस, निगालो र लोक्ता बापतको पूर्जा दस्तूर:</b>                   |              |
|     | खर र घाँस (प्रतिपूर्जा)  | रु.१०।-      |
|     | निगालो (प्रति भारी)  | रु.२५।-      |
|     | लोक्ता (प्रतिभारी) काँचो   | रु.५०।-      |
| (ङ) | <b>चरीचरन वा गोठ राख्ने दस्तूर (प्रति गोटा)</b>                          |              |
|     | राँगा, भैसी  | रु.५०।-      |
|     | गधा, खच्चर, घोडा   | रु.१००।-     |
|     | गोरु   | रु.२५।-      |
|     | भेडा, बाख्रा र अन्य यस्तै जीवजन्तु                                       | रु.१०।-      |
| (च) | हेलिकप्टर अवतरण/<br>Hoveringसमेत(प्रत्येक पटकको लागि)                    | रु.३,०००।-   |
| (छ) | <b>सिनेमा (डकुमेन्ट्री फिल्म) छायाङ्कन दस्तूर:</b>                       |              |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १०,०००।- |

|   |   |
|---|---|
| सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई  | रु. ५०,०००।—  |
| अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई  | यू.एस. डलर १,५००।—<br>वरावरको नेपाली रुपैयाँ  |
| द्रष्टव्य: ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । |   |
| छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |   |
| (ज)   | डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तूर लाग्नेछ । |
| (झ)   | तालीमप्राप्त पञ्जीकृत गाइडले निकुञ्जभित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए वापत प्रतिगाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क रु.१,०००।—   |

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।

- (ड) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (च) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।
- (छ) चरीचरन वा गोठ राख्नको लागि दिइएको अनुमति पत्र तीन महिनासम्मको लागी मात्र मान्य हुनेछ ।"

### सूचना ७

नेपाल सरकारले वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ को नियम ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची - १ को सट्टा देहायको अनुसूची- १ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची—१

(नियम ४, ११ र २१ सँग सम्बन्धित)

#### दस्तूर

| क्र.सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |                      |                    |
|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
|         |  | नेपाली नागरिक            | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)     | राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)<br>(१० वर्ष मुनिका | १००।-                    | ७५०।-                | १,५००।-            |



खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |   |       |         |         |
|-----|---|-------|---------|---------|
|     | बालबालिकालाई प्रवेश<br>दस्तूर लाग्ने छैन ।)   |       |         |         |
| (ख) | माछा मार्ने दस्तूर (बल्छीले<br>मात्र प्रति व्यक्ति प्रति<br>दिनको लागि) (परम्परागत<br>रूपमा माछा मारी जीविका<br>चलाउने स्थानीय<br>बोटे, दर्राई, सुनाहा, कुमाल, थारु<br>जातिका मानिसहरूलाई<br>वार्षिक शुल्क रु. १००।-<br>तिरी माछा मार्न पाउने<br>छन् ।) | २००।- | १,५००।- | २,५००।- |
| (ग) | क्याम्पिङ (बास बस्ने)<br>दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रत्येक<br>रातको)   | ५००।- | १,५००।  | ३,०००।  |
| (घ) | निकुञ्जको नदी नालामा पर्यटक घुमाउन डुङ्गा वा न्याफ्टीङ चलाए<br>वापत लाग्ने दस्तूर   |       |         |         |
|     | (१) डुङ्गा (प्रति व्यक्ति प्रति<br>ट्रिप)   | २००।- | १,५००।  | २,०००।  |
|     | (२) न्याफ्टीङ (प्रति व्यक्ति<br>प्रति ट्रिप)  | २००।- | २,०००।  | ४,०००।  |
| (ङ) | तालीमप्राप्त पञ्जीकृत<br>गाइडले निकुञ्जभित्र गाइड<br>सेवा उपलब्ध गराए वापत<br>प्रति गाइडप्रति वर्ष गाइड<br>शुल्क वापत   |       | २,०००।- |         |



|   |              |
|---|--------------|
| सवारी साधन दस्तूर (प्रति सवारी प्रति पटक)   |              |
| (१) राजमार्ग बाहेक सुविधा प्राप्त बाटोको लागि   |              |
| (क)<br>कार, जीप, ट्रक, बस, ट्रयाक्टर, ल<br>री (५ टनसम्म) को लागि                                | १००१-        |
| (ख)<br>मोटरसाइकल, वयलगाडा र<br>टाँगाको लागि   | २५१-         |
| (२) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभ  |              |
| (च) कार   | १,५००१-      |
| जीप   | ३,०००१-      |
| भ्यान   | ४,०००१-      |
| (३) सुविधा प्राप्त बाटो<br>बाहेक अन्य बाटोको लागि<br>मोटर इन्जिन जडान भएको<br>सवारी साधनको लागि | ५००१-        |
| (४) हेलिकप्टर अवतरण /<br>Hoveringसमेत (प्रत्येक<br>पटकको लागि)                                  | ७,०००१-      |
| (छ) खर खडाई, वनकस दस्तूर<br>(प्रति पूर्जा)  | ५०१-         |
| सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म)<br>छायाङ्कन दस्तूर:   |              |
| (ज) नेपाली नागरिकलाई  | रु. १०,०००१- |
| सार्क मुलुकभित्रका<br>नागरिकलाई   | रु. ५०,०००१- |
| कायम गरिएको दस्तूर (रु.)  |              |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई   | यू.एस. डलर १,५००।—<br>बराबरको नेपाली रुपैयाँ |
|     | द्रष्टव्य: ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।   |  |
|     | छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ।   |  |
| (झ) | डकुमेन्ट्रीबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा(डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तूर लाग्नेछ। |  |

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन।
- (घ) खर खडाई पूर्जाको म्याद तीन दिनको हुनेछ।
- (ङ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन।
- (च) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:-
  - (क) कार — ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक)।
  - (ख) जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक)।
  - (ग) भ्यान — १५ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक)।
- (छ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।६।२९

दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।

(ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।"

#### सूचना ८

नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को नियम ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची -१ को सट्टा देहायको अनुसूची -१ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची—१

(नियम १९, सँग सम्बन्धित)

#### दस्तूर

| (क) | संरक्षण क्षेत्रको प्रवेशदस्तूर<br>(प्रतिव्यक्तिप्रतिप्रवेश): | संशोधन गरिएको<br>दस्तूर (रु.) |
|-----|--|-------------------------------|
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १००।—                     |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई                                 | रु. १,०००।—                   |
|     | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु. ३,०००।—                   |
|     | (दश वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दस्तूर लाग्ने छैन) ।       |                               |
| (ख) | माछा मार्ने दस्तूर:  |                               |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु.१००।—                      |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई                                 | रु.५००।—                      |
|     | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु.१,०००।—                    |
| (ग) | सवारी दस्तूर:  |                               |
|     | १. राजमार्गबाहेक सुविधा प्राप्त बाटोको लागि:-                |                               |
|     | (क) कार, जीप, बस, ट्रयाक्टर, लरी वा                          | रु. ३००।—                     |

खण्ड ६(क) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|    |                |                   |                 |     |
|----|----------------|-------------------|-----------------|-----|
| २४ | सल्लाको सिम्टा | <i>Pinus spp.</i> | प्रति<br>के.जी. | ५।- |
|----|----------------|-------------------|-----------------|-----|

६. अनुसूची -६ को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ :-

(ख) खनिजजन्य वन पैदावार

| क्र.सं. | नेपाली नाम  | इकाई   | दस्तुर (रु.)                   |
|---------|---|--|--------------------------------|
| १       | चुनढुङ्गा (Limestone)   | प्रति टन   | ६०।-                           |
| २       | खरीढुङ्गा   | प्रति टन   | १००।-                          |
| ३       | नदीजन्य निर्माण सामग्री<br>क) साधारण ढुङ्गा (Sandstone/ Mudstone)<br>ख) गिट्टी<br>ग) बालुवा<br>घ) मस्कट / बोल्डर / ग्राबेल / सेल / कडलोमरेट | प्रति घनमिटर<br>प्रति घनमिटर<br>प्रति घनमिटर<br>प्रति घनमिटर | २५।-<br>६०।-<br>२०।-<br>१५।-   |
| ४       | उच्चस्तरीय निर्माण सामग्री (उत्खनन हुने डिपोजिट)<br>क) क्वारजाईट / बोल्डर / टुकेढुङ्गा<br>ख) क्वारजाईट / स्लाब / छापनेढुङ्गा / स्लेट        | प्रति टन<br>प्रति टन<br>प्रति टन<br>प्रति टन                 | १००।-<br>१००।-<br>५०।-<br>५०।- |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | ५ टनसम्म ट्रकको लागि  |  |
|     | (ख) मोटरसाइकल र टाँगाको लागि  | रु. २५१—                                     |
|     | (ग) हेलिकप्टर अवतरण/Hovering समेत(प्रत्येक पटकको लागि   | रु. ३,०००।-                                  |
|     | <b>२.संरक्षण क्षेत्रको अन्य पथको लागि:-</b>   |  |
|     | (क) मोटर इन्जिन जडान भएको कुनै पनि सवारीसाधनको लागि   | रु. ३००।—                                    |
|     | (ख) पर्यटक घुमाउने व्यवसायिक (जङ्गल ड्राइभ)सवारीसाधनको लागि   | रु. २,०००।-                                  |
|     | (ग) ग्लाइडर (इन्जिन जडान भएको वा नभएको)   | रु. ५००।—                                    |
| (घ) | तालीम प्राप्तपञ्जीकृत गाइडले संरक्षण क्षेत्रभित्र गाइडसेवा उपलब्ध गराए वापत प्रति गाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क              | रु. १,०००।—                                  |
| (ङ) | <b>सिनेमा (डकुमेन्ट्री फिल्म) छायाङ्कन दस्तुर:</b>  |  |
|     | नेपाली नागरिकलाई  | रु. १०,०००।—                                 |
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई  | रु. ५०,०००।—                                 |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई  | यू.एस. डलर १,५००।—<br>बराबरको नेपाली रुपैयाँ |
|     | <b>ट्रष्टव्य:</b> ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५(पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । |  |
|     | छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |  |



|     |   |
|-----|---|
| (च) | डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तूर लाग्नेछ । |
|-----|---|

**द्रष्टव्यः**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई संरक्षण क्षेत्रको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई संरक्षण क्षेत्र प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (ङ) व्यवसायिक जंगल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैनः-
- (क) जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (च) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (छ) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।"



### सूचना ९

नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७को नियम ५४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची- ८ को सट्टा देहायको अनुसूची- ८ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छः-

#### "अनुसूची—८

(नियम ४५ को उपनियम (१), ४६ को उपनियम (२) र ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

#### दस्तुर

|    |   |   |
|----|---|---|
| १. | (क) सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन दस्तुर   |   |
|    | नेपाली नागरिकलाई  | रु. १०,०००।—                                    |
|    | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई  | रु. ५०,०००।—                                    |
|    | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई  | यू.एस. डलर<br>१,५००।— बराबरको<br>नेपाली रुपैयाँ |
|    | द्रष्टव्यः झोनवाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५(पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।  |   |
|    | छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |   |
|    | (ख) डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि झोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । |   |

|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| २. | <b>संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश दस्तुर (प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रवेश):</b>   | <b>कायम गरिएको दस्तुर (रु.)</b> |
|    | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १००।-                       |
|    | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई   | रु. ५००।-                       |
|    | अन्य विदेशी नागरिकलाई  | रु. २,०००।-                     |
| ३. | <b>अवतरण दस्तुर:</b>   |                                 |
|    | (क) हेलिकप्टर अवतरण/Hovering समेत(प्रत्येक पटकको लागि)   | रु. ३,०००।-                     |
|    | (ख) हट एयर बेलुन अवतरणको निमित्त   | रु.५००।-                        |
|    | (ग)अन्य  | रु.५००।-                        |
| ४. | तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले संरक्षण क्षेत्रभित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रति गाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क | रु.१,०००।-                      |
| ५. | <b>व्यवसायिक जंगल ड्राइभ:</b>  |                                 |
|    | (क) कार  | रु. १,५००।-                     |
|    | (ख) जिप  | रु.३,०००।-                      |

**द्रष्टव्य:-**

- (क) उल्लिखित दस्तुरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।  
 (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र वाहकलाई मात्र संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।

- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई संरक्षण क्षेत्रको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई संरक्षण क्षेत्र प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (ङ) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:-
- (क) कार — ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (ख) जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।
- (च) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
- (छ) १० (दश) वर्ष उमेर मुनिका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक तथा ७० (सत्तरी) वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नेपाली नागरिकलाई शुल्क लाग्ने छैन ।
- (ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।"

### सूचना १०

नेपाल सरकारले बिक्रि राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची -१ को सट्टा देहायको अनुसूची -१ राखेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

"अनुसूची— १  
(नियम ४, ११ र २१ सँग सम्बन्धित)

दस्तूर

| क्र.सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |                      |                    |
|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
|         |  | नेपाली नागरिक            | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)     | निकुञ्जको प्रवेश दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)<br>(१० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।)  | १००।-                    | ७५०।-                | १,५००।-            |
| (ख)     | माछा मार्ने दस्तूर (बल्छीले मात्र, प्रति व्यक्ति प्रति दिनको लागि)<br>(परम्परागत रूपमा माछा मारी जीविका चलाउने स्थानीय खुना, वादी समुदायका मानिसहरूले वार्षिक शुल्क रु. १००।- तिरी माछा मार्न पाउने छन् ।) | २००।-                    | १,०००।-              | २,०००।-            |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |         |             |         |
|-----|--|---------|-------------|---------|
| (ग) | सुन चाल्ने दस्तूर<br>(परम्परागत रूपमा<br>बालुवा चाली सुन<br>खोजी गर्ने प्रति<br>व्यक्ति प्रति दिनको)<br>(परम्परागत रूपमा<br>बालुवा चाली सुन<br>खोजी गरी जीविका<br>चलाउने स्थानीय<br>खुना, बादी समुदायका<br>मानिसहरुले प्रति<br>परिवार वार्षिक शुल्क<br>रु. १००१— तिरी<br>सुन चाल्न पाउने<br>छन् ।) | १००१-   | -           | -       |
| (घ) | क्याम्पिङ (बास<br>बस्ने) दस्तूर (प्रति<br>व्यक्ति प्रत्येक रातको<br>लागि)  | २००१-   | ५००१-       | १,०००१- |
| (ङ) | निकुञ्जभित्र वा निकुञ्जको नदी नालामा पर्यटक घुमाउन डुङ्गा,<br>न्याफटीङ, बोटिङ्ग चलाए बापत लाग्ने दस्तूर  |         |             |         |
|     | (१) डुङ्गा (प्रति<br>व्यक्ति प्रति ट्रिप)  | २००१-   | १,५००<br>१- | २,०००१- |
|     | (२) न्याफटीङ (प्रति<br>व्यक्ति प्रति ट्रिप)  | २००१-   | २,०००<br>१- | ४,०००१- |
|     | (३) बोटिङ्ग  | १,०००१- | ४,०००१-     | ८,०००१- |

खण्ड ६(८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०६।२९

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| (च) | तालीम प्राप्त<br>पञ्जीकृत गाइडले<br>निकुञ्जभिन्न गाइड<br>सेवा उपलब्ध गराए<br>बापत प्रति गाइड<br>प्रति वर्ष गाइड शुल्क | १,५००।- |
| (छ) | सवारी साधन दस्तूर (प्रति सवारी प्रति पटक)   |         |
|     | (१) राजमार्ग बाहेक सुविधा प्राप्त बाटोको लागि:  |         |
|     | (क) कार, जीप, ट्रक,<br>बस, ट्रयाक्टर, लरी<br>(५ टन सम्म) को<br>लागि   | १००।-   |
|     | (ख) मोटरसाइकल,<br>बयलगाडा र<br>टाँगाकोलागि  | २०।-    |
|     | (२) व्यवसायिक जंगल ड्राइभ:  |         |
|     | कार   | १,५००।- |
|     | जीप   | २,५००।- |
|     | भ्यान   | ३,०००।- |
|     | (३) सुविधा प्राप्त<br>बाटो बाहेक अन्य<br>बाटोको लागि मोटर<br>इन्जिन जडान भएको<br>सवारी साधनको<br>लागि                 | ३००।-   |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
|     | (४) हेलिकप्टर<br>अवतरण /<br>Hoveringसमेत<br>(प्रत्येक पटकको<br>लागि)   | ५,०००।-      |
| (ज) | खर खडाई, वनकस<br>दस्तूर (प्रति पूर्जा)   | ५०।-         |
| (झ) | फुर्कि च्याउ र बगाले<br>च्याउ (असार एक<br>गते देखि भदौ<br>मसान्तसम्म<br>संरक्षकले तोकेको<br>क्षेत्रमा १ पटकमा<br>बढीमा ७ दिन<br>खुल्ला गर्ने गरी<br>बर्षमा दुईपटक) प्रति<br>के.जी. | १००।-        |
| (ञ) | <b>हात्तीसफारी</b>   |              |
|     | (१) नेपाली नागरिक  | ५००।-        |
|     | (२) सार्क मुलुकका<br>नागरिक  | १,५००।-      |
|     | (३) अन्य विदेशी<br>नागरिक  | २,५००।-      |
| (ट) | <b>सिनेमा (डकुमेन्ट्री,<br/>फिल्म) छायाङ्कन<br/>दस्तूर</b>   |              |
|     | नेपाली नागरिकलाई   | रु. १०,०००।- |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई  | रु. ५०,०००।—                              |
|     | अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई  | यू.एस. डलर १,५००।— बराबरको नेपाली रुपैयाँ |
|     | द्रष्टव्य: ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।   |   |
|     | छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।   |   |
| (ठ) | डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तूर लाग्नेछ । |   |

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र वाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) खर खडाई पूर्जीको म्याद तीन दिनको हुनेछ ।
- (ङ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (च) व्यवसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायमा तोकिएको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन:-
- (१) कार — ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।

- (२) जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।  
(३) भ्यान — १५ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।  
(छ) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तूरमा शत प्रतिशत थप दस्तूर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।  
(ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।  
(झ) शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म यही अनुसारको दस्तूर लाग्नेछ ।”

### सूचना ११

नेपाल सरकारले हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू २०२२ को नियम ४ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हात्ती प्रयोगको भाडा वापतको दस्तूर देहाय बमोजिम तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

| क्र.सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |                      |                    |
|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
|         |  | नेपाली नागरिक            | सार्क मुलुकका नागरिक | अन्य विदेशी नागरिक |
| (क)     | राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष अवलोकनको निमित्त (प्रतिव्यक्ति प्रति) | ५००।-                    | १,५००।-              | २,५००।-            |

|     |  |          |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|
|     | घण्टा)<br>(१० वर्ष<br>मुनिका<br>बालबालिकालाई<br>आधा भाडा<br>लाग्नेछ)                       |          |          |          |
| (ख) | अन्य कामको<br>लागी राष्ट्रिय<br>निकुञ्ज र<br>आरक्ष क्षेत्रमा<br>(प्रति हात्ती<br>प्रतिदिन) | १०,०००।- | १५,०००।- | २५,०००।- |
| (ग) | सरकारी कामको<br>लागि (प्रति हात्ती<br>प्रतिदिन)  | ३,०००।-  | -        | -        |

**द्रष्टव्यः**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।
- (ख) नेपाली नागरिकले आफ्नो नाममा हात्ती भाडामा लिई विदेशीलाई चढाउन पाइने छैन । चढाएमा अन्य विदेशीलाई लाग्ने भाडा लिई सोही बराबरको थप भाडा समेत लिइनेछ ।
- (ग) "प्रतिदिन" भन्नाले छ घण्टाको समयावधि सम्झनुपर्छ ।
- (घ) एउटा हात्तीमा दुई जना व्यक्ति मात्र चढाउन पर्नेछ । तर निकुञ्ज तथा आरक्ष अवलोकनका लागि काठको फ्रेमवाला गद्दी भएको हौदा प्रयोग गरिएको हात्तीमा चार जना सम्म चढाउन सकिनेछ ।

- (ड) सात दिन भन्दा बढीको लागि हात्ती भाडामा प्रयोग गरेमा बढी प्रयोग गरेको दिन जतिको शत प्रतिशत थप दस्तूर बुझाउनु पर्नेछ ।
- (च) घाँस पानी नभएको ठाउँमा बास बस्ने गरी हात्ती भाडामा लैजान दिइने छैन ।
- (छ) भाडामा लैजाने व्यक्ति वा संस्थाले हात्ती भाडामा लिएको अवधिभर हात्तीलाई राशन, दाना, घाँस निजकै तर्फबाट खुवाउनु पर्नेछ ।
- (ज) नेपाल राजपत्र खण्ड ६२,सङ्ख्या १०, भाग ५ मिति २०६९।०३।०४ मा प्रकाशित सूचनालाई खारेज गरिएको छ ।"

#### सूचना १२

नेपाल सरकारले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरीको लागि देहाय बमोजिमको दस्तूर तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ:-

(क) शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा

| क्र.सं. | विवरण  | कायम गरिएको दस्तूर (रु.) |
|---------|--|--------------------------|
| (१)     | राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर (प्रति व्यक्ति प्रति प्रवेश प्रति दिन) |                          |
|         | (क) नेपाली नागरिक  | १००।-                    |
|         | (ख) सार्क मुलुकका नागरिक   | ६००।-                    |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
|     | (ग) अन्य विदेशी नागरिक   | १,०००।- |
| (२) | सवारी साधन दस्तूर  |         |
| (क) | सुविधा प्राप्त बाटोको लागि प्रति सवारी प्रति पटक   |         |
|     | (अ) सार्वजनिक यातायात मिनी बस, माइक्रो बस, ट्याक्सी  | ३०।-    |
|     | (आ) ट्रक, मिनि ट्रक, ट्र्याक्टर, लरी   | ५०।-    |
|     | (इ) डोजर, रोलर, क्रेन आदि  | १००।-   |
| (ख) | सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोका सवारी साधनका लागि (प्रवेश शुल्क बाहेक) प्रति सवारी प्रति पटक   |         |
|     | (अ) मोटरसाइकल, स्कुटर  | १५०।-   |
|     | (आ) निजी कार, जीप, भ्यान, ट्याक्सी   | ३५०।-   |
|     | (इ) माइक्रो बस, मिनी ट्रक, बस, ट्रक  | ५००।-   |
|     | (ई) वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु, कुटनीतिक नियोगका झण्डा भएका सवारी साधन, सुरक्षा निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, बारुण यन्त्र र एम्बुलेन्स बाहेक सबै सरकारी, संस्थान, गैर सरकारी संघ संस्थाका सवारी साधन | २५।-    |
|     | (उ) साइकल  |         |



खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | (क) नेपाली नागरिक   | २०१-    |
|     | (ख) सार्क मुलुकका नागरिक  | ५०१-    |
|     | (ग) अन्य विदेशी नागरिक  | १५०१-   |
| (३) | तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाईडले निकुञ्जभित्र गाईड सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रति गाईड प्रति वर्ष गाईड शुल्क बापत | २,५००१- |
| (४) | सोत्तर तथा पातपत्तिगंर संकलन (प्रति पूर्जा प्रति दिन)   | १०१-    |
| (५) | साइकल दौड कार्यक्रम(प्रवेश शुल्क बाहेक)   | ५,०००१- |
| (६) | अल्ट्रा दौड कार्यक्रम (प्रवेश शुल्क बाहेक)  | ५,०००१- |
| (७) | रक क्लाम्बिड प्रति व्यक्ति प्रति दिन (प्रवेश शुल्क बाहेक)   |         |
|     | (क) नेपाली नागरिक   | २५०१-   |
|     | (ख) सार्क मुलुकका नागरिक  | ५००१-   |
|     | (ग) अन्य विदेशी नागरिक  | १,०००१- |
| (८) | निकुञ्ज बाहिरका सुरक्षा निकाय र सरकारी संघ संस्थाको रक क्लाम्बिड प्रति कार्यक्रम                            | २,०००१- |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| (९) | व्यवसायिक जंगल ड्राइभ प्रति ट्रिप (प्रवेश शुल्क बाहेक) |         |
|     | कार — ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।                   | ५००।-   |
|     | जीप — १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।                  | १,०००।- |
|     | भ्यान — १५ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक) ।                | १,५००।- |

**द्रष्टव्यः**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।
- (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
- (ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (घ) गाईड शुल्क बुझाउने गाईडलाई निकुञ्ज प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।
- (ङ) सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्यत्र निकुञ्जले कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम ध्वनी तथा वायू प्रदुषण गर्ने सवारी साधनलाई प्रवेश अनुमति उपलब्ध गराइने छैन ।
- (च) सुन्दरीजल—चिसापानी—नगरकोट जाने पर्यटकको हकमा सुन्दरीजलमा प्रवेश अनुमति लिएपछि भोलिपल्ट चिसापानीबाट नगरकोट जाँदा पुनःटिकट लिनुपर्ने छैन ।
- (छ) निजी विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको पत्रसहित विद्यार्थीहरूलाई निकुञ्जको अवलोकन भ्रमणमा ल्याउँदा लाग्ने प्रवेश शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

- (ज) निकुञ्ज भित्र सञ्चालन हुने साइकल दौड, अल्ट्रा दौड लगायतका कार्यक्रममा खेलाडी र कार्यक्रम आयोजकले प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क पनि अनिवार्य रूपमा तिर्नु पर्नेछ ।
- (झ) १० (दश) वर्ष मुनिका सबै बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरुलाई शुल्क लाग्ने छैन ।
- (ञ) मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका वन क्षेत्र वा ऐलानी पर्ति अतिक्रमण गरी बसी आएका वासिन्दाहरुलाई शुल्क र पानीको प्रयोग गर्ने प्राथमिकतामा अग्राधिकार दिइने छैन ।
- (ट) सुविधा प्राप्त बाटोमा निजी मोटरसाइकल, कार, जिप र आकस्मिक सेवाका एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता सवारीसाधनमा कुनै दस्तूर लाग्ने छैन ।

(ख) राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरीको हकमा

| सि.नं | विवरण   | कायम गरिएको दस्तुर (रु.) |
|-------|---|--------------------------|
| १     | <b>प्रवेश शुल्क</b><br>स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यक्ति १० वर्ष मुनिका | २०१-                     |
|       | १० वर्ष माथिका  | ५०१-                     |
|       | सार्क मुलुकको नागरिक प्रतिव्यक्ति<br>१० वर्ष मुनिका               | १००१-                    |
|       | १० वर्ष माथिका  | २००१-                    |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|   |   |         |
|---|---|---------|
|   | विदेशी मुलुकको नागरिक<br>प्रतिव्यक्ति   | २००१-   |
|   | १० वर्ष मुनिका  |         |
|   | १० वर्ष माथिका  | ५००१-   |
|   | विद्यार्थी प्रवेश शुल्क (विद्यालय<br>लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाबाट<br>आधिकारिक पत्र सहित अध्ययन<br>प्रयोजनको लागि प्रति व्यक्ति) | २०१-    |
| २ | <b>पार्किङ्ग शुल्क:</b>   |         |
|   | साईकल (थान)   | ५१-     |
|   | मोटर साईकल (थान)  | २५१-    |
|   | टेम्पो (थान)  | ४०१-    |
|   | कार, जिप, भ्यान (थान)   | ५०१-    |
|   | मिनिबस (थान)  | १००१-   |
|   | बस, ट्रक (थान)  | २००१-   |
| ३ | क्यामरा/डिजिटल (थान)  | ३०१-    |
| ४ | भिडियो क्यामरा (थान)  | २००१-   |
| ५ | <b>चलचित्र सुटिङ्ग/म्यूजिक भिडियो<br/>तथा अन्य सुटिङ्ग</b>  |         |
|   | सानो पर्दाको लागि (प्रति दिन)   | ५०००१-  |
|   | स्वदेशी लगानीको चलचित्र   | १००००१- |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०।२९

|   |  |         |
|---|--|---------|
|   | (निजी) (प्रति दिन)                                 |         |
|   | स्वदेशी संयुक्त लगानीका<br>चलचित्र (प्रति दिन)     | १५०००।- |
|   | सार्क मुलुकका लगानीका<br>चलचित्र (प्रति दिन)       | २५०००।- |
|   | विदेशी लगानीका चलचित्र (प्रति<br>दिन)              | ३००००।- |
|   | विवाह तथा अन्य फोटोसुट<br>(प्रतिदिन)               | २०००।-  |
| ६ | <b>विद्युतिय सवारीमा उद्यान परिक्रमा<br/>शुल्क</b> |         |
|   | स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यक्ति (प्रति<br>पटक)         | १००।-   |
|   | १० वर्ष मुनिका                                     |         |
|   | १० वर्ष माथिका                                     | २००।-   |
|   | सार्क मुलुकको नागरिक(प्रति<br>पटक) १० वर्ष मुनिका  | २००।-   |
|   | १० वर्ष माथिका                                     | ४००।-   |
|   | विदेशी मुलुकको नागरिक(प्रति<br>पटक)                |         |
|   | १० वर्ष मुनिका                                     | ५००।-   |
|   | १० वर्ष माथिका                                     | १०००।-  |

खण्ड ६८) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७५।०३।२९

|  |       |
|--|-------|
| विद्यार्थी (विद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाबाट आधिकारिक पत्र सहित अध्ययन प्रयोजनको लागि प्रति व्यक्ति)(प्रति पटक) | १००।- |
|--|-------|

**द्रष्टव्य:**

- (क) उल्लिखित दस्तूरमा मूल्य अभिवृद्धिकर समावेश भएको छ ।  
(ख) नेपाल राजपत्र खण्ड ६४, संख्या ११, भाग ५, मिति २०७१।०३।३० मा प्रकाशित सूचनालाई खारेज गरिएको छ ।

आज्ञाले,  
डा. विश्वनाथ ओली  
नेपाल सरकारको सचिव

५६

मुद्रण विभाग, सिंहदरवार, काठमाडौंमा मुद्रित । मूल्य रु २०।-  
गो.हु.व.नं. १६।२०६।२।६३